संख्या-16/2015-1538/58-2015-250/2015

प्रेषक,

विजय प्रताप सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ: दिनांक 12 अगस्त, 2015**

विषय:- **वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में उद्यान शाखा के अधीन संचालित केन्द्रीय आयोजनागत योजना "राज्य औद्यानिक मिशन" योजनान्तर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश हेतु धनराशि के अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-69-70/बजट-आयोजनागत-2015-16, दिनांक 22.6.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत् आयोजनागत पक्ष में केन्द्र पोषित चालू योजना "राज्य औद्यानिक मिशन" योजनान्तर्गत गत वर्ष की अवशेष "केन्द्रांश 85 प्रतिशत रू0-495.48 लाख एवं राज्यांश 15 प्रतिशत रू0-87.44 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0-582.92 लाख (रूपये-पांच करोड़ बयासी लाख बानबे हजार) मात्र को अवमुक्त करते हुए अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नलिखित विवरण के अनुसार व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि हजार रूपये में)

अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक/मद का नाम	कोड संख्या/ मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अनुदान	अवमुक्त की जा रही धनराशि
83	2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत- 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 01-केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें- 0108-राष्ट्रीय बागवानी मिशन (के085/रा015-के0+रा0)	27-सब्सिडी	153429	52292
		44-प्रशिक्षण	6000	6000
	योग		159429	58292

(रूपये-पांच करोड़ बयासी लाख बानबे हजार मात्र)

(1) अवमुक्त की जा रही उक्त धनराशि के आहरित/व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 योजना हेतु निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया है। इस आशय का प्रमाण-पत्र उनके द्वारा कोषागार में धनराशि आहरित करने से पूर्व दिया जायेगा। तदोपरान्त धनराशि आहरित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) केन्द्रीय योजनाओं को ट्रेजरी के माध्यम से चलाये जाने के निर्णय के फलस्वरूप संदर्भित योजनान्तर्गत केन्द्रांश व राज्यांश के 85:15 प्रतिशत के अनुपात में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में धनराशि का प्राविधान किया गया है। अतएव भारत सरकार से कार्ययोजना के अनुमोदन के अनुरूप केन्द्रांश/राज्यांश की धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करने की कार्यवाही की जाय।

(3) गत वर्ष की अप्रयुक्त 85 प्रतिशत केन्द्रांश की धनराशि रू0-495.48 लाख (रूपये-चार करोड़ पंचानबे लाख अड़तालिस हजार) एवं 15 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि रू0-87.44 लाख (रूपये-सत्तासी लाख चौवालिस हजार) अर्थात कुल धनराशि रू0-582.92 लाख (रूपये-पांच करोड़ बयासी लाख बानबे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान की जा रही है कि यदि भारत सरकार द्वारा उक्त अप्रयुक्त धनराशि को नए फंडिंग पैटर्न अर्थात 50 के0/50 रा0 के आधार पर उपयोग किये जाने पर सहमति प्रदान की जाती है, तो ऐसी दशा में अवशेष राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर दी जायेगी।

(4) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय अनुसूचित जाति घटक के लाभार्थियों के लिए ही किया जायेगा।

(5) प्रस्तर-1 में दी गयी शर्त के अनुसार नियमानुसार केन्द्रांश/राज्यांश की धनराशि का व्यय, राज्य औद्यानिक मिशन योजनान्तर्गत भारत सरकार, कृषि मंत्रालय के निर्देशानुसार राज्य औद्यानिक मिशन/जिला औद्यानिक मिशन नियमावली में निहित प्राविधानों के तहत किया जायेगा एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) उक्त धनराशि का व्यय जनपदवार भारत सरकार से स्वीकृत परिव्यय/योजना के अनुसार निर्धारित फंडिंग पैटर्न के अनुरूप ही किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का विचलन वित्तीय अनियमितता माना जायेगा तथा किसी भी प्रकार का व्यावर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(7) जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(8) अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। व्यय आवंटित सीमा तक ही रखा जाय।

(9) शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों सहित मितव्ययिता के सम्बन्ध में जारी शासनादेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाय।

(10) केन्द्र पोषित, बाहय सहायतित तथा राज्य/जिला सेक्टर, जिनमें राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी को किसी प्रकार (cash or kind) की सब्सिडी/सहायता अनुदान (गैर वेतन) दिया जाना है, ऐसी सभी योजनाओं/कार्यक्रमों में लाभार्थी की संख्या व पात्रता तथा उसे दी जाने वाली धनराशि आदि के सम्बन्ध में मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

(11) वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-ए-1-961/दस-2012-10(28)/2011, दिनांक 31.01.2013 द्वारा वेतन/पेंशन के अतिरिक्त प्रदेश के कोषागारों में समस्त प्रकार के अन्य भुगतान (इम्प्रेस्ट आदि से सम्बन्धित अपवादों को छोड़ते हुए) ई-पेमेंट के माध्यम से किए जाने की व्यवस्था दिनांक 01-4-2013 से किये जाने का निर्णय लिया गया है अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से सुनिश्चित किया जाय। वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-ए-1-285/दस-2012-10(20)/2011टी0सी0-II , दिनांक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

29.05.2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रानिकली लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तदनुसार सुनिश्चित किया जाए।

(12) निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण व वित्त नियन्त्रक इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाये।

(13) भण्डार क्रय नियमों एवं शासन के सुसंगत अद्यतन वित्तीय नियमों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) लाभार्थी चयन में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति नहीं की जायेगी।

(15) उक्त प्रस्तर में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन विभाग में कार्यरत जनपदीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले को पूर्ण विवरण सहित सूचना शासन/वित्त विभाग को तत्काल दिया जाय।

(16) यदि भारत सरकार/शासन द्वारा निर्धारित शर्तों का विचलन किया जाता है तो उसके लिए निदेशक, मिशन/उद्यान तथा सम्बन्धित जनपद के जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, उद्यान तथा वित्त नियंत्रक, उद्यान विभाग उत्तरदायी होंगे।

(17) प्रश्नगत योजनान्तर्गत उपयोग की गयी धनराशि का मासिक विवरण प्रत्येक माह की 05 तारीख तक शासन को अवश्य ही उपलब्ध करायी जाये।

2- यह आदेश वित्त विभाग की अशा0 संख्या-ई-1-472/दस-2015, दिनांक 10 अगस्त, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

संख्या: 16 /2015-1538(1)/58-2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा, प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन,लखनऊ।
(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(6) वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उ0प्र0शासन।
(7) बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन।
(8) वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**